न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—524/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/524)

1. घासी पुत्र भोमा उम्र करीबन 53 वर्ष
2. पाना पुत्री दीना उम्र करीबन 50 वर्ष
3. मूलाराम पुत्र दीना उम्र करीबन 45 वर्ष
4. रामली पुत्र दीना उम्र करीबन 48 वर्ष
5. रामा पुत्री दीना उम्र करीबन 48 वर्ष
6. श्री किशन पुत्र भोगा उम्र करीबन 60 वर्ष
7. सुगनी देवी पुत्री दीना उम्र करीबन 55 वर्ष
8. सुवाराम पुत्र दीना उम्र करीबन 40 वर्ष

सर्व जाति गुर्जर, सर्व निवासीगण ग्राम निवासी कटारिया की ढाणी बकरवालिया, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलांट्स

बनाम

1. छीतर पुत्र चौथू जाति जाट निवासी ग्राम सिनोदिया तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।
3. बडौदा बैंक राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा भदूण।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 राजस्व वाद संख्या 07/2023

उपस्थितः—

1. श्री रामदेव गुर्जर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुण्डाराम जाट अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 04.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 7/2023 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस किए जाने के आदेश पारित किए गए। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट

प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 12.11.2025 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 7/2023 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारीत किया जो प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी हैं। चूंकि अप्रार्थी संख्या 9 (हरकु देवी पत्नी दीना) कि मृत्यु दिनाक 31.03.2025 को हो चुकी हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखी करते हुये मृत व्यक्ति के विरुद्ध पूर्वाग्रह (Premature) से ग्रसीत होकर आदेश पारित किया है जो प्रारम्भ से शून्य है ऐसे आदेश विधि अनुसार निष्प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहनीलदार द्वारा दिनांक 29.10.2025 को रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मौके पर उभय पक्षों को नोटिस देकर उपस्थिती में रिपार्ट तैयार की गई है एवं उक्त रिपोर्ट में आस–पास में प्रस्तावित रास्ते के बाबत् देनी थी परन्तु तहसीलदार द्वारा अपने मनमाने आचरण से स्वयं द्वारा तैयार कर 30 फिट के स्थान पर 15 फिट अंकित करते हुये वही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2025 को उक्त रिपोर्ट बहस सुनकर रिपोर्ट पर व आपत्ति प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय पारित कर दिया जबकी दिनांक 29.10.2025 की तहसीलदार रिपोर्ट पूर्णतः अवैधानिक है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्तनीय है चुंकि रिपोर्ट पर कोई आदेश पारित नहीं किया एवं ना ही आपत्ति रिपोर्ट पर कोई आदेश पारित नहीं किया जबकी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.08.2025 की स्पष्ट करती है कि आपत्ति प्रार्थना पत्र की बहस के पूर्व पुनः रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाई जाये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा (Premature) असामयिक आदेश पारित किया जो विधि अनुसार निरस्तनीय है। माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी 1086/2025 रामा बनाम छीतर प्रस्तुत करके दिनांक 11.11.2025 (मंगलवार) को साय 6:23 पर किशनलाल रिडर साहब को WhatsApp व्हाटस्प पर तहरीर भेज दी गई एवं तहरीर को देख भी लिया एवं सुबह दिनांक 12.11.2025 को 10:00 बजे ऑफिस में तहरीर पत्रावली तलब बाबत् भेज भी दी गई फिर भी विधि विरुद्ध आचरण रखते हुये दुर्भावना पूर्वक दिनांक 12.11.2025 को बिना नियत तारीख के आदेश पारित कर दिया जो स्पष्ट प्रमाण होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गूगल मेप, राजस्व मेप व आपत्ती प्रार्थना पत्र में वर्णित किया जा चुका है कि प्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 की आराजी में जाने हेतु मौके पर ग्रेवल रोड बनी हुई है एवं रास्ता समर्पण किया गया है केवल मात्र 20–30 मीटर रास्ते समर्पण नहीं परन्तु मौके पर ग्रेवल रोड है प्रार्थी की आराजी के समीप

शिवनगर की सीमा लगती हुई जो शिवनगर के खसरा नम्बर 568, 564 रास्ते हेतु समर्पण किये जा चुके है केवल मात्र 571 में रास्ता 20–30 मीटर जो समर्पण नहीं किया गया है वह सबसे कम दूरी पर एवं राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र (राजस्व ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 3 (17) राज–6/2021 पार्ट/9/जयपुर दिनांक 30.09.2021 में पैरा संख्या 4 (2) में अंकित है कि "जिन प्रकरणों मे खातेदार/खातेदारों द्वारा उनकी खातेदारी से गुजर रहे है रास्ते की भूमि को राजहित में समर्पण में मना कर दिया है रास्ते के काम में आ रही भूमि को गै०मु०रास्ता दर्ज किया जावे" इस प्रकार खसरा नम्बर 574 प्रत्यर्थी संख्या 1 (रस्पोडेन्ट) की आराजी व मकानात तक ग्रेवल रोड़ बनी हुई इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं केवल मात्र 20–30 मीटर जो खसरा नम्बर 571 के पास से ग्राम शिवनगर में रोड डली हुई। लेकिन खातेदार की भूमि है उसमें से रास्ता सुलम. सस्ता, सरलतम, निकटतम होने के बावजूद मनमाने रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 12.11.2025 को पारित किया है जिसमें अपीलार्थीगण/अपीलान्ट्स की कोई बहस सुनी गई एवं नहीं आदेश में अंकित किया गया आदेश को पढने मात्र से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि न्यायालय द्वारा अपनी सुविधानुसार आदेश पारित किया उक्त आदेश, आदेश की श्रेणी में इंगित नहीं होता है एवं अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1111/573 व 572 मौके पर एक चक है जिसके बीचों–बीच रास्ता दिया गया है जो नियमों के विरूद्ध है किसी खातेदार की भूमि के बीच में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है जबकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्तनीय है। प्रत्यर्थी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 574 के लिये खसरा नम्बर 571 में से दिया जाता है तो मात्र 200–250 फिट दूरी में से रास्ता 600 फिट दूरी है इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टी से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से अपास्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 7/2023 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अपील के पैरा में अंकित समस्त कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से अस्वीकार है। अपीलार्थीगण स्वयं प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में अंकित समस्त कथनों को ठोस साक्ष्य से सिद्ध करे। यहां पर यह निवेदन करना आवश्यक है कि रेस्पों० संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा 574 में आने जाने हेतु अपीलार्थीगण संख्या 1 से 9 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1111/573, 572 में से रास्ता चाहने बाबत् एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो० संख्या 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 को नोटिस जारी किये गये। इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार भू अभिलेख रूपनगढ़ से मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी थी। इसके पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ के आदेश द्वारा भू–अभिलेख निरिक्षक कोटडी एवं पटवार हल्का

सिनोदिया के पटवारी से मौका रिपोर्ट तैयार कर मंगवायी गयी। भू–अभिलेख निरीक्षक कोटडी एवं पटवार हल्का सिनोदिया द्वारा दिनांक 20.10.2023 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 को मौका रिपोर्ट बनाये जाने से पूर्व दिनांक 16.10.2023 को नोटिस जारी किये गये थे। रेस्पों० संख्या 1 एवं अपीलार्थीगण को नोटिस विधिवत रूप से तामील करवाकर दिनांक 20.10.2023 को मौका रिपोर्ट बनाये जाने हेतु मौके पर उपस्थित रहने बाबत् सूचित किया गया था। दिनांक 20.10.2023 को भू–अभिलेख निरीक्षक कोटडी एवं पटवारी हल्का सिनोदिया द्वारा उभय पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौको रिपोर्ट तैयार की गयी। ग्राम सिनोदिया के खसरा नम्बर 574 जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है में आवागमन हेतु प्रार्थी ने खसरा नम्बर 572 के उत्तरी भुजा के सहारे सहारे व खसरा नम्बर 1111/573 की दक्षिणी भुजा के सहारे सहारे 30 फीट चौडा रास्ता चाहा है जो ग्राम सिनोदिया के खसरा नम्बर 1263/564 गै०मु० रास्ता सिवायचक दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 9 के स्वर्गवास के संबंध में अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान अप्रार्थी संख्या 9 के देहान्त की सूचना नहीं दी गयी है इसके अलावा अप्रार्थी संख्या मृतक हरकू देवी के समस्त वारिसान पहले से ही रिकोर्ड पर है। इसलिए प्रकरण की कार्यवाही पर विधिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इसके अलावा किसी भी पक्षकार के हित भी प्रभावित नही होगें। ग्राम सिनोदिया के खसरा नम्बर 1263/564 के पश्चिम तरफ से शुरू होकर खसरा नम्बर 572 के उतरी सीमा के सहारे सहारे व ख०नं० 1111/573 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे ख0नं0 574 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक 30 फिट रास्ता दिया जाता है तो खसरा नं0 572 रकचा 0.6067 है० में से 0.0825 है० भूमि व खसरा नम्बर 1111/573 में से 0.0927 है० भूमि कुल 0.1752 है० भूमि रास्ते में जाएगी जिसकी लम्बाई खसरा नं0 572 में से 90 मीटर तथा ख०नं० 1111/573 में से 102 मीटर होगी कुल लम्बाई 192 मीटर होगी। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता व मुताबिक राजस्व रिकोर्ड अनुसार लघुतम दूरी का रास्ता एक ही है जिसका नजरी नक्शा निम्नानुसार मौका पर्चा दिनांक 20.10.2023 में अंकित किया गया है। जिसमें भी पूर्णतया स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता व मुताबिक राजस्व रिकोर्ड के लघुतम दूरी का रास्ता है। इसी प्रकार पैरा संख्या 4 में भू–अभिलेख निरीक्षक कोटडी एवं पटवारी पटवार हल्का सिनोदिया द्वारा उभय पक्षकारों की उपस्थिति में मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार कर इसके साथ एक प्रस्तावित रास्ते बाबत् प्रस्तावित नजरी नक्शा एवं नक्शा ट्रेस तैयार किया गया था जिसके अन्तर्गत रेस्पो० संख्या 1/प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 574 पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा 572 एवं 1111/573 में से निकटतम रास्ता होना स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पों० संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 574 पर आने जाने हेतु निकटतम रास्ता अपीलार्थीगण संख्या 1 से 8 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 572 एवं 1111/573 में से ही उपलब्ध कराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक कोटडी एवं पटवारी पटवार हल्का सिनोदिया द्वारा उभय पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार की गयी उक्त मौका रिपोर्ट एवं इसके साथ संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा एवं नक्शा ट्रेस के आधार पर एवं रास्ते में आने वाले वृक्षों के बाबत् स्पष्ट मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 के आधार पर विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय दिनांक 12.11.

2025 को पारित किया गया है। अपील के पैरा संख्या 7 में अंकित समस्त कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है। यह कथन भी गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/रेस्पो० की आराजी खसरा नम्बर 574 के लिये खसरा नम्बर 571 में से दिया जाता है तो मात्र 200–250 फिट दूरी में से रास्ता 600 फिट दूरी हो। यह कथन भी गलत होने से अस्वीकार है कि तुलनात्मक दृष्टी से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से अपास्तनीय हो। उक्त वर्णित समस्त कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से. पूर्णतया अस्वीकार है। उक्त वर्णित समस्त कथनों को अपीलार्थी स्वयं ठोस साक्ष्य से सिद्ध करें। जबकि वास्तविकता यह है कि भू०अभिलेख निरीक्षक कोटडी एवं हल्का पटवारी सिनोदिया द्वारा दिनांक 20.10.2023 को प्रस्तुत विस्तृत मौका रिपोर्ट एवं दिनांक 16.10.2025 को प्रस्तुत स्पष्ट मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि रेस्पो० संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 574 में आने–जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा लघुतम दूरी का रास्ता अपीलार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 572, 1111/573 में से ही दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2025 में किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2025 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्यायसंगत नहीं होने से अपीलार्थीगण की अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 12.11.2025 को पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1263/564 गै0मु0 रास्ते से प्रार्थी की वर्णित आराजी खसरा नम्बर 574 तक आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1111/573 एवं 572 में से 30 फीट चौडा रास्ता प्रदान किए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट दिनांक 20.10.2023 को तैयार की गई व उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में समस्त पक्षकारों को मौका रिपोर्ट के समय उपस्थित रहने हेतु पटवार मण्डल कार्यालय से दिनांक 16.10.2023 को नोटिस जारी किए गए व उनकी विधिवत तामील भी करवाई गई।

उक्त रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1111/573 व 572 में से कुल 192 मीटर लंबाई व 30 फीट चौडाई का रास्ता दिए जाने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा उक्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 572 में खेजडी का एक पेड तथा खसरा नम्बर 1111/573 में खेजडी के तीन व देशी बबूल के दो पेड कुल छः छोटे बडे पेड हैं।

उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2024 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया व मुख्य कथन यह किया गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण, वन व पेड–पौधों को बचाने का विशेष उत्तरदायित्व न्यायालय का है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा उक्त आपत्ति पर मनन करते हुए तहसीलदार को पुनः प्रकरण में स्पष्ट मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु आदेश दिए गए व यह निर्देशित किया गया कि यदि पेड वगैरह 15 फीट की चौडाई में आते हैं तो नजरी नक्शे में डोटेड लाईन से अंकित करते हुए स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा भी जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि 30 फिट चौडा रास्ता दिया जाना उचित नहीं है, कृषि यंत्रों को लाने व ले जाने के लिए 15 फीट चौडा रास्ता ही काफी है।

इस संबंध में दिनांक 16.10.2025 को तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व उक्त रिपोर्ट अप्रार्थीगण के जवाब व उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों व पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। उक्त रिपोर्ट में खसरा नंबर 1111/573 व खसरा नम्बर 572 में से 15 फिट चौडा रास्ता दिया गया है व उक्त रास्ते पर कोई पेड वगैरह नहीं है जो कि संलग्न नजरी नक्शे से भी स्पष्ट है।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट की आपत्ति का निस्तारण करते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत मौका रिपोर्ट माननीय मण्डल द्वारा निगरानी में दिए गए निर्देशों अनुसार प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट के संदर्भ में कहे गए कथन निराधार है।

अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष यह उज्र भी उठाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, चूंकि अप्रार्थी संख्या 9 हरकू देवी पत्नि दीना की मृत्यु दिनांक 31.03.2025 को हो चुकी है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन किए जाने के पश्चात यह पाया कि अप्रार्थी संख्या 9 के विधिक वारिसान पत्रावली पर पहले से मौजूद हैं तथा उनके किसी प्रकार से हक अधिकार प्रभावित नहीं हुए है ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय से प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है। चूंकि यह दायित्व अप्रार्थीगण का है क्यों कि वह उनकी माता है। इस संबंध में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को सूचित किया जाना चाहिए था कि अप्रार्थी संख्या 9 की मृत्यु दिनांक 31.03.2025 को हो चुकी है व प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2025 को निर्णय पारित किया गया है। इस अवधि के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस बाबत सूचित ही नहीं किया गया।

धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है तथा रास्ता सुखाधिकार के तहत उपयोग में लिया जाता है। अपीलांट अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित नहीं कर पाए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं होने से अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि न्यायालय हाजा द्वारा करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 7/2023 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर